जुलाई– 2024, वर्ष 33, अंक 60

उत्तर प्रदेश संदेश

'ऑपरेशन कायाकल्प' से बदल रही प्रदेश के विद्यालयों की तस्वीर

- परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध।
- 'ऑपरेशन कायाकल्प' के फलस्वरूप छात्र नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि।
- अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विभिन्न निधियों द्वारा वित्त पोषण।
- 19 पैरामीटर पर अवस्थापना सुविधाओं यथा - बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, मल्टीपल हैंडवॉशिंग यूनिट, रसोईघर का सुदृढ़ीकरण, कक्षाओं के फर्श का टाइलीकरण, स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण आदि में अभूतपूर्व वृद्धि।
- नई शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत बच्चों को डिजिटल लर्निंग द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना।
- बाल मैत्रिक एवं दिव्यांग सुलभ संरचनाओं के विकास हेतु हितधारकों का क्षमता संवर्द्धन के साथ-साथ तकनीकी मैन्युअल का वितरण।

हर बच्चे को शिक्षा दिलवाएंगे
उत्तर प्रदेश को निपुण बनाएंगे

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

जुलाई-2024, वर्ष 33, अंक 60

उत्तर प्रदेश

संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

❖

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
शिशिर
सूचना निदेशक

❖

सम्पादकीय परामर्श :
अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक, सूचना

❖

डॉ. मधु ताम्बे
उपनिदेशक सूचना

❖

डॉ. जितेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक निदेशक, सूचना

❖

प्रभारी सम्पादक :
दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक, सूचना

❖

अतिथि सम्पादक :
कुमकुम शर्मा

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 9412674759, 7705800978

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

◆ मंडी परिषद ने पूरे किए भारत सरकार के सभी मानक — 3
–सुयश मिश्रा

◆ सौर ऊर्जा से बदलती ग्रामीण दुनिया — 9
–प्रदीप श्रीवास्तव

◆ चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था से सुरक्षित होता प्रदेश — 13
–शिव शंकर गोस्वामी

◆ स्वच्छ-समृद्ध-हरित प्रदेश — 17
–सुनील राय

◆ पशुधन एवं दुग्ध विकास, किसानों के जीवन में खुशियों की आस — 22
–सुरेन्द्र अग्निहोत्री

◆ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से, रोजगार के खुलते द्वार — 26
–विदर्भ कुमार

◆ पर्यावरण संरक्षण को कटिबद्ध सरकार — 29
–राघवेंद्र प्रताप सिंह

सम्पादकीय

विकास के टेढ़े-मेढ़े रास्ते तय करने में श्रमिक नींव के उस पत्थर की तरह होते हैं जिस पर एक मजबूत इमारत तनकर खड़ी होती है। यह कह सकते हैं कि दूरदृष्टि रखने वाली सरकार अपने समाज के मजदूरों, श्रमिकों का विशेष ख़याल रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रदेश में मजदूरों को पक्के आवास, शौचालय, मुफ्त रसोई गैस व बिजली कनेक्शन, दो लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा और पाँच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को एक-एक हजार रुपये की दो किस्तों में भरण पोषण भत्ता देने की बात कही है। श्रम विभाग ने इस सम्बन्ध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। यह राशि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से दी जायेगी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन करते हुए प्रदेश में श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को पहले से अधिक सुदृढ़ किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तो गति मिली ही है साथ ही श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-श्रम कार्ड बनाकर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को जन-आरोग्य योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर मजदूरों को उनके ही जिले में उनकी योग्यता, क्षेत्र और कौशल के हिसाब से काम दिलाने के लिए भी सरकार निरन्तर प्रयासरत है जिसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कोविड के बाद लॉकडाउन का सबसे अधिक असर मजदूरों पर पड़ा था। सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश होने के कारण सबसे अधिक मजदूरों की संख्या भी यहीं थी अतः इन्हें काम देकर सुरक्षित जीवन देना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ग को तात्कालिक लाभ देने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए जिनके दूरगामी परिणाम परिलक्षित होते रहते हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों का रजिस्ट्रेशन करवाकर उनके हुनर के कौशल का सम्मान करते हुये प्रशिक्षित करके उनको रोज़गार से जोड़ने की पहल मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है।

सम्पादक

मंडी परिषद ने पूरे किए भारत सरकार के सभी मानक

–सुयश मिश्रा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा हाल ही में लागू किए गए सुधारों से प्रदेश के किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। मंडी परिषद की इस पहल ने न केवल कृषि व्यापार को आसान और सुलभ बना दिया है, बल्कि किसानों को भी इसका लाभ हो रहा है। किसानों ने माना है कि अब फसल बेचने के लिए मंडी तक जाने की जरूरत नहीं, जिससे बिचौलियों से बचना भी संभव हो गया है। वहीं कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को उप मंडी स्थल घोषित करना एक सकारात्मक कदम रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हुई है। वहीं कई किसानों ने फल और सब्जियों पर मंडी शुल्क में छूट को एक वरदान बताया है। योगी सरकार में लगातार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी परिषद के इन सुधारों ने किसानों की समस्याओं को दूर करने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में निर्धारित सभी मानकों को पूरा करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारत सरकार ने 2012 और 2017 में मॉडर्न एक्ट के तहत कृषि विपणन में सुधार के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। कृषि विपणन सुधार को दो प्रमुख क्षेत्र – प्रायोरिटी एरिया रिफॉर्म और अदर एरिया रिफॉर्म में विभाजित किया गया। प्रायोरिटी एरिया रिफॉर्म में 8 और अदर एरिया रिफॉर्म में 5 सुधार शामिल हैं। उत्तर प्रदेष मंडी परिषद ने प्रायोरिटी एरिया रिफॉर्म के तहत प्राइवेट मार्केट के कॉन्सेप्ट को लागू करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। भारत सरकार के पहले सुधार में यह कहा गया था कि हर राज्य में प्राइवेट मार्केट की स्थापना होनी चाहिए। आइये जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा लागू किये गये सुधार (रिफॉर्म) के बारे में।

प्राइवेट मार्केट की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिल सकें और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े। प्राइवेट मार्केट की स्थापना से न केवल किसानों को अधिक विकल्प मिल रहे हैं बल्कि उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी मिलते हैं। मंडी परिषद के इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के कृषि विपणन क्षेत्र में एक नई दिशा और गति मिलेगी।

डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस

पहले कोई भी क्रय–विक्रय मंडी स्थल के अंदर ही हो सकता था यानी मंडी यार्ड के अंदर। इसमें संशोधन किया गया है। अब किसान अपने खलियान से ही अगर अपनी फसल बेचना चाहे तो वह बेच सकता है। जबकि पहले ऐसा नहीं था उसे मंडी स्थलों तक अपनी फसल लानी पड़ती थी। अब वह मंडी स्थलों के बाहर या अपने खेत से ही सीधे व्यवसायी को फसल बेंच सकता है। हालांकि यहां भी मंडी शुल्क और मंडी नियंत्रण लागू होगा। मंडी परिषद ने इसके लिए व्यवसाइयों को स्पेशल लाइसेंस दिया है जिसे डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस भी कहा जाता है इस लाइसेंस को लेकर कोई भी व्यापारी मंडी यार्ड के अंदर या मंडी यार्ड के बाहर भी किसानों से सीधे फसल खरीद सकता है यानी इससे किसानों को बिचौलियों से बचाया गया है।

कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस बने उप मंडी स्थल

किसानों की सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार करते हुए कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को उप मंडी स्थल घोषित कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत, किसान अब अपनी फसल को सीधे कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउस से ही बेच सकते हैं। पहले के प्रावधानों के अनुसार, किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउस से निकालकर मंडी स्थल तक लाते थे और वहां बेचते थे। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार अनावश्यक खर्च और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब, नए सुधार के तहत, किसान अपनी फसल को संरक्षित करने के बाद सीधे कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउस से ही व्यापारियों को बेच सकते हैं। मंडी परिषद के इस सुधार से किसानों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने चौथे रिफार्म को लागू करके कृषि विपणन में डिजिटल क्रांति लाने का काम किया है। अब प्रदेश के अंदर कोई भी लीगल एंटिटी, फर्म या कंपनी अपना ई–ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चला सकती है, जिससे किसान अपनी फसल को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। नए प्रावधान के तहत, जो भी फर्म या कंपनी कृषि उत्पादों का ई–ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहती है, उसे मंडी परिषद से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने का अवसर देगा, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकेंगे और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर, ये फर्म और कंपनियां अपनी वेबसाइट बनाकर किसानों को आमंत्रित कर सकती हैं। किसान इन ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपने उत्पादों की जानकारी अपलोड कर सकते हैं और सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिल सकें और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े। प्राइवेट मार्केट की स्थापना से न केवल किसानों को अधिक विकल्प मिल रहे हैं बल्कि उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी मिलते हैं। मंडी परिषद के इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के कृषि विपणन क्षेत्र में एक नई दिशा और गति मिलेगी।

सिंगल प्वाइंट लेवीः किसानों के लिए राहत भरा कदम

किसानों और व्यापारियों के हितों को देखते हुए 'सिंगल प्वाइंट लेवी' एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस नए नियम के तहत, किसी भी कृषि उत्पाद पर मंडी शुल्क और विकास शुल्क केवल एक बार ही लगेगा, चाहे वह उत्पाद कितनी बार भी ट्रेड किया जाए। पहले, हर बार जब किसी कृषि उत्पाद का व्यापार होता था, तो उस पर मंडी शुल्क और विकास शुल्क बार–बार लगाए जाते थे। इससे किसानों और व्यापारियों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता था और व्यापार की प्रक्रिया भी जटिल हो जाती थी। लेकिन अब, सिंगल प्वाइंट लेवी के लागू होने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी।इस नए प्रावधान के अनुसार, किसी भी उत्पाद पर शुल्क केवल एक ही बिंदु पर लगाया जाएगा। इसके बाद, वह उत्पाद कितनी भी बार व्यापार के लिए बाजार में

आए, उस पर दोबारा शुल्क नहीं लगेगा। इससे व्यापार प्रक्रिया सरल होगी और किसानों तथा व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस

उत्तर प्रदेश में 251 मंडी समितियां स्थापित हैं। पहले, व्यापारी एक लाइसेंस से एक ही मंडी में व्यापार कर सकता था। हर मंडी में अलग–अलग लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था, जिससे न केवल प्रक्रिया जटिल होती थी बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ता था। लेकिन अब, सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस के आने से व्यापारियों को एक ही लाइसेंस के माध्यम से पूरे राज्य की मंडियों में व्यापार करने की सुविधा मिल गई है। इस नए प्रावधान के तहत व्यापारी अपनी सेवाओं का विस्तार पूरे राज्य में कर सकते हैं। इससे व्यापार की प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता आयी है, जिससे व्यापारियों के साथ–साथ किसानों को भी लाभ मिल रहा है। यह सुधार न केवल व्यापारियों के लिए लाभदायक है, बल्कि व्यापार की प्रक्रिया तेज और सुगम होने से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने के साथ बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

इस सुधार को लागू करने से दूसरे राज्यों के व्यापारियों को भी यूपी में व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। इसके लिए 'रिकॉगनेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस ऑफ अदर स्टेट' का प्रावधान किया गया है। इस नए नियम के तहत, अब दूसरे राज्यों के लाइसेंसी व्यापारी ई–नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। पहले दूसरे राज्य के व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए राज्य का अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब, दूसरे राज्यों के लाइसेंसी व्यापारियों को यूपी में दोबारा लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

रेशनलाइजेशन ऑफ कमीशन चार्ज

किसानों और व्यापारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 'रेशनलाइजेशन ऑफ कमीशन चार्ज' का प्रावधान किया गया है। इस सुधार के तहत अब मंडी शुल्क को घटाकर सिर्फ 1 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 2 प्रतिशत था। इस नए प्रावधान का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। पहले, प्रत्येक व्यापार पर 2 प्रतिशत मंडी शुल्क देना पड़ता था, जिससे किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। लेकिन

अब, इस शुल्क को कम करके 1 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और व्यापार अधिक लाभदायक हो सकेगा।

ई–नाम योजना से किसानों को मिला डिजिटल प्लेटफार्म

किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'ई–नाम' (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विपणन को डिजिटल बनाना और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। पहले की व्यवस्था में, किसान अपने उत्पादों को मंडी में ले जाकर मैन्युअल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेचते थे। इस प्रक्रिया में समय और श्रम की काफी आवश्यकता होती थी और अक्सर किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन अब, मैन्युअल के साथ साथ ई–नाम के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। ई–नाम योजना के तहत, जब भी कोई किसान अपना उत्पाद मंडी में लाता है, तो उसे ई–नाम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर उत्पाद की पूरी जानकारी, जैसे कि फसल का प्रकार, मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य आदि, उपलब्ध होती है। व्यापारियों को ई–नाम ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, व्यापारियों को किसी भी समय और किसी भी स्थान से बोली लगाने की सुविधा मिलती है। इससे न केवल प्रक्रिया में तेज़ी आती है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ती है। किसानों को भी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

दूसरे राज्यों के ट्रेडिंग लाइसेंस को मान्यता

इस सुधार को लागू करने से दूसरे राज्यों के व्यापारियों को भी यूपी में व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। इसके लिए 'रिकॉगनेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस ऑफ अदर स्टेट' का प्रावधान किया गया है। इस नए नियम के तहत, अब दूसरे राज्यों के लाइसेंसी व्यापारी ई–नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। पहले दूसरे राज्य के व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए राज्य का अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब, दूसरे राज्यों के लाइसेंसी व्यापारियों को यूपी में दोबारा लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल मंडी परिषद को सूचित

करना होगा कि वे दूसरे राज्य में लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं। यह सुविधा केवल ई–नाम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन व्यापार के लिए लागू है, फिजिकल ट्रेडिंग के लिए नहीं।

फल और सब्जियों पर मंडी शुल्क में छूट

फल और सब्जियों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 'डी–रेगुलेशन ऑफ एफ एंड वी' का प्रावधान किया है। इस नए नियम के तहत,45 फल और हरी सब्जियों को मंडी शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया है। पहले, फल और सब्जियां भी मंडी शुल्क के अधीन होती थीं, जिससे व्यापारियों और किसानों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब, फल और हरी सब्जियों को मिलाकर कुल 45 उत्पादों पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये उत्पाद मंडी शुल्क के बिना बिक सकते हैं।हालांकि, अगर व्यापारी मंडी यार्ड में आकर व्यापार करते हैं, तो उन्हें 1 प्रतिशत यूजर चार्ज का भुगतान करना होता है। लेकिन अगर वे मंडी यार्ड के बाहर व्यापार करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस सुधार से किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

लखनऊ के रहने वाले किसान अरूण मिश्रा ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को उप मंडी स्थल घोषित करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। अब हमें अपनी फसल बार–बार मंडी ले जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे वहीं से अपनी उपज बेच सकते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा : राज्य ने व्यापारियों को दी छूट

प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई प्रसंस्करण नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत, प्रसंस्करण व्यापारियों को मंडी शुल्क में छूट प्रदान की गई है, बशर्ते वे सीधे किसानों से उत्पाद खरीदें। पहले, प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उत्पादों की खरीद पर शुल्क देना पड़ता था, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती थी। लेकिन अब, यदि कोई मिलर या प्रसंस्करण इकाई सीधे किसान से उत्पाद खरीदती है और उसे प्रोसेस करके बेचती है, तो उसे इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बशर्ते वह मंडी में आकर न खरीदकर सीधे किसान के खेत से खरीदे। इस नई नीति का उद्देश्य कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। सीधे किसानों से खरीदारी करने से न केवल किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, बल्कि प्रसंस्करण इकाइयों को भी लागत में कमी आएगी, जिससे उनका व्यवसाय अधिक लाभकारी बनेगा।

दूसरे राज्योंसे प्रसंस्करण हेतु आने वाले उत्पाद पर भी राहत

इस नीति के तहत, अब प्रसंस्करण इकाइयों को न केवल राज्य के किसानों से सीधे उत्पाद खरीदने पर छूट मिलती है, बल्कि उन्हें दूसरे राज्यों के व्यापारियों से खरीदारी करने पर भी शुल्क नहीं देना पड़ता। पहले, प्रसंस्करण इकाइयों को राज्य के बाहर से कृषि उत्पाद खरीदने पर अतिरिक्त शुल्क और अन्य समस्याएं झेलनी पड़ती थीं। लेकिन अब, यदि कोई प्रसंस्करण इकाई दूसरे राज्यों के व्यापारियों से सीधे उत्पाद खरीदती है और उसे प्रोसेस करके बेचती है, तो उसे इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इस सुधार का उद्देश्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाना है। इससे प्रसंस्करण इकाइयों को विभिन्न राज्यों से उत्पाद खरीदने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे उन्हें अधिक विविधता और गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

रिफॉर्म लागू होने के बाद किसानों की राय

लखीमपुर खीरी के रहने वाले किसान गौरव गुप्ता ने बताया कि मंडी परिषद के इन सुधारों से हम किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब हमें फसल बेचने के लिए मंडी तक जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे अपने खेत से ही व्यापार कर सकते हैं। यह कदम हमें बिचौलियों से भी बचाता है और हमारी मेहनत का सही मूल्य दिलाता है।

लखनऊ के रहने वाले किसान अरूण मिश्रा ने बताया

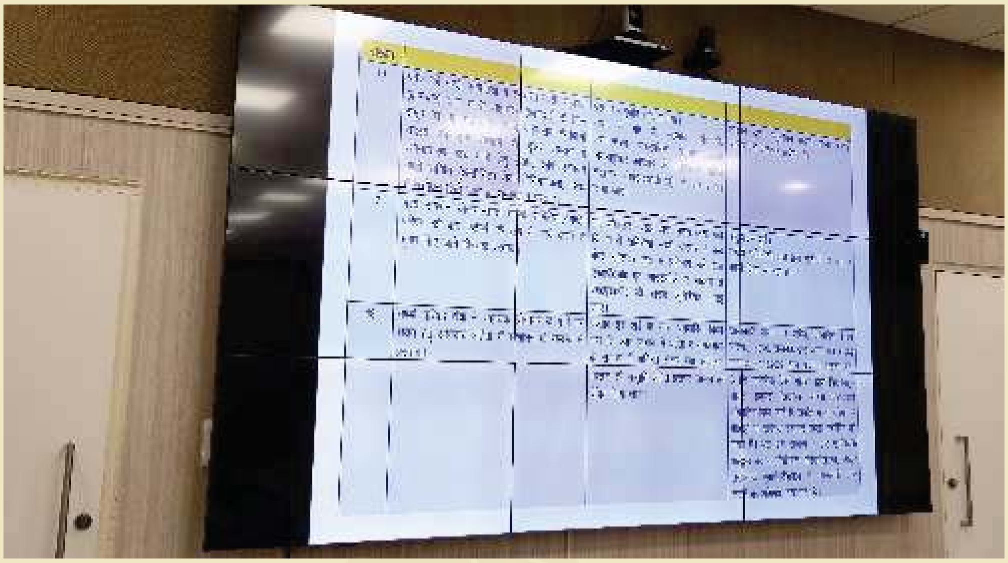

हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। इससे हमें मंडी शुल्क से मुक्ति मिली है और हमारा मुनाफा बढ़ा है। खासकर छोटे किसानों को इससे बहुत फायदा हुआ है। **–नेतराम यादव, किसान, सीतापुर।**

दूसरे राज्यों के व्यापारियों को यूपी में व्यापार की अनुमति मिलना एक बड़ा कदम है। इससे हमारी फसल का बाजार बढ़ गया है और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, जिससे हमें अच्छे दाम मिल रहे हैं। **–राजेश चौधरी, किसान, प्रयागराज।**

कि कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को उप मंडी स्थल घोषित करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। अब हमें अपनी फसल बार–बार मंडी ले जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे वहीं से अपनी उपज बेच सकते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत से अब हम किसान भी डिजिटल युग का हिस्सा बन गए हैं। ई–ट्रेडिंग के जरिए हम अपनी फसल को देशभर में बेच सकते हैं, जिससे हमें बेहतर दाम मिल रहे हैं और बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ी है।

सिंगल प्वाइंट लेवी से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। अब फसल का कितनी बार भी व्यापार हो, हमसे केवल एक बार ही मंडी शुल्क लिया जाएगा। इससे हमारी लागत कम हुई है और व्यापार की प्रक्रिया भी सरल हो गई है। **–लखनऊ के किसान**

ई–नाम योजना से हमारे फसल का मूल्य सही समय पर मिल रहा है। पहले हमें मंडियों में लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन बोली के जरिए हम तुरंत अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं। इससे हमें उचित मूल्य मिल रहा है और हमारी आय भी बढ़ी है। **–राम सिंह चौधरी, किसान, मथुरा।**

फल और सब्जियों पर मंडी शुल्क में छूट का निर्णय

क्या कहना है मंडी सचिव का

बाराबंकी में तैनात सचिव कृषि उत्पादन मंडी समित राजित राम वर्मा ने बताया कि 13 रिफॉर्म पूरी तरह किसानों के हित के लिए हैं। इससे किसानों का सीधा फायदा हो रहा है। उन्हें न सिर्फ विपणन में विकल्प मिले हैं, बल्कि फसल का सही मूल्य भी मिल रहा है। खासकर ऑनलाइन व्यापार एक अच्छा कदम है। किसान अपनी उपज की जानकारी ई–नाम पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे व्यापारियों को उस उत्पाद की पूरी जानकारी मिलती है और वे ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकते हैं। वहीं सीतापुर में तैनात सचिव ने बताया कि इन रिफॉर्म से थोड़ा बहुत मंडी की आय में कमी आई है, लेकिन किसानों को सीधा फायदा मिला है। फल, सब्जियों में छूट हो या फिर घर बैठे व्यापार की सहूलियत, किसान को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। ई–नाम प्लेटफॉर्म से भी लगातार किसान से जुड़ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लगातार किसानों को इस योजना के प्रति जागरूक और उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के प्रति प्रशिक्षित कर रहे हैं। ◆

मो. : 8924856004

सौर ऊर्जा से बदलती ग्रामीण दुनिया

–प्रदीप श्रीवास्तव

पिछले दो दशकों में आप ने देखा होगा कि किस तरह आज सूरज ढलते ही पूरा का पूरा गांव कृत्रिम प्रकाश से जगमगा उठता है.रोशनी के लिए अब वहां ढिबरी या लालटेन को जलते हुए बहुत कम ही देखा जाता है। जिसका मुख्य श्रेय जाता है सौर ऊर्जा को। आज सौर ऊर्जा ने केवल गांवों की ही नहीं पूरे दुनिया के परिदृश्य को बदल कर रख दिया है.अगर हम ध्यान दें तो बीते दस सालों में सौर ऊर्जा के चलते पूरे देश की स्थिति ही बदल गई है। जिसका मुख्य कारण है केंद्र की वर्तमान सरकार की सोच का। इसी सोच ने केवल शहरों का ही नहीं गांवों के परिदृश्य को बदल दिया है। कुछ वर्षों पहले तक बिजली, पानी की समस्या के चलते गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया था, अब वे ही वापस गांवों की ओर वापस लौटने लगे हैं। जिसका मुख्य श्रेय जाता है 'सौर ऊर्जा' को, जिसके चलते उन्हें बिजली व पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात मिल चुकी है।

यह सर्वविदित है कि देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आज देश में ऊर्जा के दो प्रमुख माध्यम बिजली और पेट्रोलियम पदार्थों की कमी होने से वैज्ञानिकों का ध्यान पुनः ऊर्जा के अन्य स्रोतों की ओर गया है। भारत ने अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 25,000 मेगावाट से बढ़ाकर 55000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। किसी भी देश के लिए ऊर्जा के मायने होते हैं कि वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की आपूर्ति इस तरीके से हो कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव न पड़े और यह तरीका स्थायी हो, ना कि लघुकालीन। प्राकृतिक स्रोतों का जिस तरह से दोहन हो रहा है उसने केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों की भी नींद उड़ाकर रख दी है। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए ऊर्जा के नये स्रोत तलाश किए जा रहे हैं। भारत भी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के परंपरागत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं जिसके कारण घरेलू सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी हुई है। घरों में सौर ऊर्जा से इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर प्लांट, सोलर रूफटॉप इन्वर्टर, और सोलर वाटर पंप सिस्टम जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आज सौर ऊर्जा अपार ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है और भविष्य में भी सौर ऊर्जा की मांग में बढ़ोत्तरी होगी।

सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है। जब सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके ऊर्जा उत्पन्न

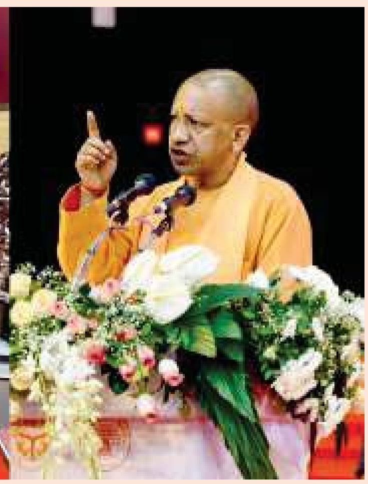

की जाती है, तो इन प्रक्रियाओं को सौर ऊर्जा उत्पादन कहा जाता है। सरल शब्दों में सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य की किरणों को सीधे बिजली में बदलना, या तो कंसन्ट्रेटेड सोलर थर्मल सिस्टम द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से लेंस या दर्पण और ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करके सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है और सूर्य के प्रकाश का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटी सी किरण पर एकत्र किया जाता है। इस तरह से सौर ऊर्जा संयंत्र काम करते हैं।

देश में उत्पादित बिजली का 53 प्रतिशत कोयला से आता है और अनुमान है कि वर्ष 2040–2050 तक यह भी खत्म हो जाएगा। भारत की 72 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है, और उनमें से आधी आबादी बिना बिजली के रहती है.अब भारत ऐसी स्थिति में आ गया है कि हम अब ऊर्जा के अधिकतम उत्पादन के लिए, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, उसके नवीनीकरण और बचाव के लिए कदम उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग इस मांग को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है ताकि हम ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य स्थापित कर सकें। सौर ऊर्जा का उपयोग गांवों और शहरों में भी संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के कई गांवों में बिजली नहीं थी। लेकिन आज तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से कई गांवों में बिजली है.हालांकि आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गाँवों और शहरों में बिजली का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घरों को रोशन करने में सफल हुए हैं। सरकार भी सौर ऊर्जा या सोलर पैनल को लेकर भारतीयों की खूब मदद कर रही है।

सौर ऊर्जा छोटे समुदायों में जीवन बदल रही है। यह एक सस्ता, आत्मनिर्भर ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। इस तरह, ऊर्जा अधिक निष्पक्ष है, जिससे आर्थिक अंतर कम होता है। यह जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, खासकर जहां बिजली की कमी है। भारत में कृषि ग्रामीण परिवारों का प्राथमिक व्यवसाय बना हुआ है। भारत में अधिकांश लोग बिजली की उपलब्धता को हल्के में ले रहे हैं. हालाँकि, दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुँच महंगी और दुर्लभ है। भारत को सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि यहाँ हर दिन लगभग 200 मेगावाट प्रति किलोमीटर वर्ग सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। देश के लगभग 60 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए सौर क्षेत्र में बहुत बड़ा बाज़ार है। सौर ऊर्जा, एक विकल्प के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक सस्ता और स्वच्छ विकल्प प्रदान करती है। यह अक्षय ऊर्जा की बढ़ती उपलब्धता का महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।

यहाँ यह जानना बहुत जरुरी है कि सौर ऊर्जा परियोजना का विचार सूर्य मंदिर (मोढेरा मंदिर) से आया है, जो सूर्य देवता का मंदिर है। चूंकि यह मंदिर भगवान सूर्य का मंदिर है, इसलिए गांव और समुदाय की पूरी बिजली सौर ऊर्जा से ही मिलनी चाहिए। सूर्य मंदिर आज पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित 3डी लाइट शो का आयोजन करता है। पार्किंग स्थल में ईवी चार्जिंग स्टेशन भी हैं, यहां तक कि मंदिर के परिसर को भी इस अक्षय ऊर्जा स्रोत से बिजली दी जाती है।

भारत का लक्ष्य 2030 के अंत तक अपनी आधी बिजली पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से पैदा करना है। इसका कारण यह है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक बन गया है। भारतीय गांवों में सौर ऊर्जा को तेज़ी से अपनाने का एक और कारण यह है कि यह राजस्व का एक बड़ा स्रोत प्रदान करता है। चूंकि भूमि सौर परियोजनाओं का एक अनिवार्य पहलू है, इसलिए यह आय सृजन का एक मूल्यवान साधन बन सकता है। गांववासी अपनी बंजर भूमि (जो किसी काम

की नहीं है) को सौर डेवलपर को पट्टे पर दे सकते हैं। इस तरह, ग्रामीण समुदाय बिना किसी महंगे निवेश लागत के नकदी प्रवाह की धारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यह सौर परियोजनाओं के विकास के दौरान स्थानीय श्रमिकों और इलेक्ट्रीशियनों को रोज़गार के अवसर भी प्रदान करता है. विकास चरण के बाद, सौर परियोजनाएं सुरक्षा कर्मियों, ऑपरेटरों, सफाईकर्मियों, तकनीशियनों और माली जैसे रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। आने वाले समय में सौर ऊर्जा बिजली का सबसे विश्वसनीय स्रोत होने की भी उम्मीद है।

घरेलू सौर प्रणाली के तहत गाँव, पहाड़ों, और दूर दराज के इलाकों में भी विद्युतीकरण के सपने को सच किया गया है और आज भारत के जिन गाँवों में अन्य स्त्रोत से बिजली का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, उन गाँवों में सौर ऊर्जा की मदद से बिजली पहुंचाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गयी

सौर ऊर्जा छोटे समुदायों में जीवन बदल रही है। यह एक सस्ता, आत्मनिर्भर ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। इस तरह, ऊर्जा अधिक निष्पक्ष है, जिससे आर्थिक अंतर कम होता है। यह जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, खासकर जहां बिजली की कमी है। भारत में कृषि ग्रामीण परिवारों का प्राथमिक व्यवसाय बना हुआ है। भारत में अधिकांश लोग बिजली की उपलब्धता को हल्के में ले रहे हैं. हालाँकि, दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुँच महंगी और दुर्लभ है। भारत को सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि यहाँ हर दिन लगभग 200 मेगावाट प्रति किलोमीटर वर्ग सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है।

हैं जिनके तहत घरेलू उपयोग के अलावा खेती में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं जिसके कारण घरेलू सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी हुई है। घरों में सौर ऊर्जा से इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर प्लांट, सोलर रूफटॉप इन्वर्टर, और सोलर वाटर पंप सिस्टम जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आज सौर ऊर्जा अपार ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है और भविष्य में भी सौर ऊर्जा की मांग में बढ़ोत्तरी होगी।

धरती पर पड़ने वाली सूरज की रौशनी और उसमे मौजूद गर्मी ही सौर ऊर्जा कहलाती है। धरती पर सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। सूर्य से पृथ्वी पर अधिक मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है तथा पृथ्वी पर इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीक में होने

वाले विकास की मदद से मनुष्य ने ऐसी तकनीक ईजाद कर ली है, जिससे धरती पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को विज्ञान एवं तकनीक की मदद से विद्युत् में परिवर्तित किया जाता है। हर साल सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा धरती पर पाए जाने वाले समस्त कोयले, तेल, गैस आदि की मात्रा से 130 गुना अधिक है। पृथ्वी पर पड़ने वाली यह सूरज की किरणें बहुत सालों से यहाँ उपलब्ध हैं तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 500–600 करोड़ सालों तक सूरज की किरणें धरती पर उपलब्ध रहेंगी तथा इसी प्रकार हम सौर ऊर्जा से विद्युत् उत्पन्न कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। सरकार और निजी कंपनियां सौर ऊर्जा को आगे बढ़ा रही हैं। वे सभी के लिए बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। वे शिक्षा, वित्तीय सहायता और फेनिस एनर्जी जैसे निवेश प्रदान करके मदद करती हैं। उनका लक्ष्य सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाना है।

सौर परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के कई तरीके हैं. इनमें सरकार से सहायता, विशेष निधि, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रम और निजी धन शामिल हैं। फेनिस एनर्जी और अन्य इस फंडिंग को प्राप्त करना आसान बनाते हैं. वे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को उन लोगों से जोड़ते हैं जिनके पास मदद करने के लिए पैसा है।

पता हो कि गुजरात में प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव देश का पहला सोलर गांव है जहां कभी भी बिजली नहीं जाती। मोढेरा में हरेक घर की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे पूरे गांव को 24 घंटे सौर पैनल से बिजली मिलती रहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना पार स्थित मांडा के कोसड़ा कला गांव में स्थापित सोलर पावर प्लांट से गांव के हर घर को बिजली मिलेगी। यह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी विलेज होगा, जहाँ ग्रामीणों को सस्ती बिजली मिलेगी।

बताता चलूँ कि सरकार द्वारा आपको सोलर सब्सिडी प्रति किलो वाट सोलर सिस्टम के अनुसार मिलती है। आज 1 किलो वाट तक के सोलर सिस्टम के लिए 30 हजार रुपये, वहीं 2 किलो वाट के सोलर सिस्टम के लिए 60 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है और उससे अधिक क्षमता के सोलर सिस्टम पर आपको 78, हजार रुपये की, सब्सिडी मिलती है। 10 किलो वाट तक के सोलर सिस्टम पर 78,000 रुपये की सब्सिडी। ◆

मो. : 87072 11135

चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था से सुरक्षित होता प्रदेश

महिलाएं एवं आम नागरिक आज बेहद सुरक्षित
अपराधी और माफिया नेस्तनाबूत : अरबों की सरकारी संपत्ति को मुक्त कराया

–शिव शंकर गोस्वामी

किसी भी लोकप्रिय सरकार की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होता है कि, उसके शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है और वहां की महिलाएं क्या अकेले सड़कों पर आ जा सकती हैं। आम नागरिकों को बिना भेदभाव के न्याय मिल रहा है या उसे न्याय के लिए दर–दर भटकना पड़ रहा है। अधिकारी जनता की सुनते हैं या वह टाल मटोल करते हैं। इन कसौटियों पर वर्तमान योगी सरकार को कसा जाए तो वह चौबीस कैरेट सही साबित होती है। इसके विपरीत अगर पहले का हाल देखा जाए, तो यह सर्व सिद्ध है कि एक वर्ग या जाति विशेष को छोड़कर कहीं किसी को न्याय नहीं मिल पाता था। महिलाएं सड़क पर महफ़ूज़ नहीं थीं। कौन दबंग और कौन माफिया कब किसकी ज़मीन, दुकान और मकान हड़प लेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं था। खुलेआम अपहरण और बलात्कार होना, आए दिन वाली घटनाएं हो गई थीं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस अधिकारी भी डरा करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब हुआ, जब एक बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर, एक ईमानदार पुलिस अफसर को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था।

मगर आज स्थिति बदल गई है। गुंडे और माफिया या तो ऊपर जा चुके हैं, या फिर वह जेल में हैं। ऐसे गुंडे, माफियाओं के कब्ज़े से करोड़ों, अरबों की संपत्ति मुक्त कराई जा चुकी है। प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल के शब्दों में, अब और तब के शासनकाल में कानून व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फर्क है। 37 सालों तक पुलिस विभाग में सेवा देने वाले बृजलाल सार्वजनिक मंचों से यह बात कई बार कह चुके हैं कि जाति और धार्म देखकर पुलिस अफसरों को नियुक्ति दी जाती थी। तथा जाति देखकर न्याय और अन्याय का फैसला किया जाता था। बृजलाल 1977 बैच के

योगी सरकार के शासनकाल की कानून व्यवस्था को सबसे बेहतर बताते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि, कानून व्यवस्था की स्थिति में उत्तर प्रदेश में काफी सुधार हुआ है, यही कारण है कि आज देश भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने को आतुर हैं। पूर्व के शासनकाल में कोई उद्योगपति यहां आना नहीं चाहता था। कानून व्यवस्था में सुधार के पीछे मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि उनके शासनकाल में पुलिस के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप ना के बराबर है, यू.पी. के लोग, विशेषकर महिलाओं ने पिछले सात सालों में सुधरी हुई कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से समझा है।

आईपीएस अधिकारी हैं तथा सभी के शासनकाल में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहे। प्रदेश के डीजीपी पद पर भी रहकर के उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं।

योगी सरकार के शासनकाल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सबसे बेहतर बताते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि, कानून व्यवस्था की स्थिति में उत्तर प्रदेश में काफी सुधार हुआ है, यही कारण है कि आज देश भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने को आतुर हैं। पूर्व के शासनकाल में कोई उद्योगपति यहां आना नहीं चाहता था। कानून व्यवस्था में सुधार के पीछे मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि उनके शासनकाल में पुलिस के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप ना के बराबर है, यू.पी. के लोग, विशेषकर महिलाओं ने पिछले सात सालों में सुधरी हुई कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से समझा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर देखकर ही 2022 में जनता ने दूसरी बार उनके हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंपी है।

भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या रही है। इस मामले में उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलकर ही शासन चलाया है, और भ्रष्टाचारी किस्म के दर्जनों अधिकारियों को या तो सेवा मुक्त कर दिया है या तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी है। योगी सरकार ने जाति देखकर कभी कार्रवाई नहीं की। उनकी नज़र में अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो जैसा अपराध करेगा उसे वैसी ही सजा मिलेगी। आज भी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वह अपराधी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जगह या तो ऊपर है या फिर जेल के अंदर।

योगी आज पूरे देश में सुशासन के रोल मॉडल बन चुके हैं। दूसरे राज्य के लोग भी अपने यहां योगीराज का मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि चुनाव के समय में अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी एक नेता की सबसे अधिक मांग है, तो वह योगी आदित्यनाथ ही हैं। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा टकराव होता है, किंतु इसका आकलन इस बात से होना चाहिए, कि सरकार ने धरातल पर कितना काम किया है। इस मामले में देखना यह होगा कि योगी के दूसरे कार्यकाल में क्या कोई बड़ी घटनाएं

हुई है। और जहां पर सबसे बड़े चर्चा का विषय योगी शासनकाल में हुए एनकाउंटर है। तो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार योगी के दोनों कार्यकाल में अब तक 9434 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 185 से अधिक दुर्दान्त अपराधी मारे गए हैं। और साढ़े पांच हजार से अधिक अपराधी घायल हुए हैं। इस दौरान 13 पुलिस कर्मी भी शहीद हुए और 1443 घायल हुए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं भी सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं का आंकड़ा शामिल नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि यूपी में बड़े माफियाओं का सफाया पूरी तरीके से हो गया। जिनमें सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तथा मुन्ना बजरंगी का माना जाता है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया था, जिसका आतंक पूरे उत्तर प्रदेश में था। इसी प्रकार अतीक अहमद का गैंग दिनदहाड़े अपने विरोधियों को गोली मार दिया करता था। मुन्ना बजरंगी भी इन्हीं अपराधियों की श्रेणी में आता था जो मुख्तार गैंग का सदस्य था और आए दिन कांट्रेक्ट किलिंग करता था। और ऐसे कई माफिया थे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके थे। लेकिन आज इनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इन माफियाओं की करोड़ों अरबों की संपत्ति भी सरकार द्वारा ज़प्त की जा चुकी है। इसमें एक नाम कानपुर के विकास दुबे का भी है जिसने एक साथ, सात पुलिस वालों की हत्या की थी। बाद में एक मुठभेड़ में उसका भी सफाया हो गया।

योगी सरकार की खास विशेषता यह रही है, कि न केवल इसने गुंडों माफियाओं का सफाया किया है, बल्कि इनके कब्ज़े से करोड़ों की सरकारी ज़मीन भी मुक्त कराई है। जैसे मुख्तार अंसारी गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक था, आज वो सारी की सारी संपत्ति सरकार ने मुक्त करा ली है।

आगे सुल्तानपुर की घटना को देखिए, जहां एक सर्राफा कारोबारी के यहां करोड़ों की डकैती पड़ी। इसमें एक युवक मंगेश यादव को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। इसी डकैती कांड से जुड़े एक लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह को भी एस.टी.एफ ने 23 सितंबर को उन्नाव में मार गिराया। कन्नौज में नवाब सिंह यादव बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। क्योंकि यूपी का समग्र विकास तथा कानून व्यवस्था की स्थिति, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वे सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।

योगी आज पूरे देश में सुशासन के रोल मॉडल बन चुके हैं। दूसरे राज्य के लोग भी अपने यहां योगीराज का मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि चुनाव के समय में अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी एक नेता की सबसे अधिक मांग है, तो वह योगी आदित्यनाथ ही हैं। किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना ही शांति व्यवस्था का मुख्य अंग होता है। यह तभी संभव है जब अपराधियों को सज़ा दी जाय। योगी सरकार ने कम से कम यह कदम जरूर उठाए हैं, जिससे अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं मिले और अपराधी और माफिया को वहां पहुंचाया जाए, जहां उनकी असली जगह है।

भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या रही है। इस मामले में उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलकर ही शासन चलाया है, और भ्रष्टाचारी किस्म के दर्जनों अधिकारियों को या तो सेवा मुक्त कर दिया है या तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी है। योगी सरकार ने जाति देखकर कभी कार्रवाई नहीं की। उनकी नज़र में अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो जैसा अपराध करेगा उसे वैसी ही सज़ा मिलेगी। आज भी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वह अपराधी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जगह या तो ऊपर है या फिर जेल के अंदर। जबकि पूर्ववर्ती सरकार न केवल अपराधियों के सहारे चलती थी, बल्कि उनकी सरकार में बड़े–बड़े गुंडे और माफिया सरकार का अहम अंग हुआ करते थे।

किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र में शांति बनाए रखना,

अपराधों को कम करना और आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना ही शांति व्यवस्था का मुख्य अंग होता है। यह तभी संभव है जब अपराधियों को सज़ा दी जाय। योगी सरकार ने कम से कम यह कदम जरूर उठाए हैं, जिससे अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं मिले और अपराधी और माफिया को वहां पहुंचाया जाए, जहां उनकी असली जगह है।

व्यावहारिक रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जिस पर वह अपनी पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के माध्यम से नियंत्रित करती है। यूपी में वर्षों से पुलिस के हजारों पद रिक्त थे। उसे भरने के लिए योगी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा भर्ती अभियान चलाया। जिसमें उनका ज्यादा जोर इस बात पर था, कि भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पहले इन भर्तियों में खूब पैसा चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है, कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कई दिशाओं में एक साथ काम कर रही है, जिसका असर जनता में भी देखने को मिलता है। और जनता इसी कारण योगी आदित्यनाथ में एक साफ सुथरे, शीर्ष नेता की छवि देखती है। ◆

मो. : 9450420707

स्वच्छ-समृद्ध-हरित प्रदेश

–सुनील राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में 'एक पेड़ मां के नाम' लगाया गया। प्रदेश में व्यापक स्तर पर 'पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ जनअभियान–2024' चलाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरैल नदी के तट पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इसके अतिरिक्त प्रयागराज और गोरखपुर में भी पौधारोपण किया। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सीतापुर में पौध लगाया। वहीं प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने भी अलग अलग जिलों में पौधे रोपित किये। वर्ष 2024 में इस बार 36, 51, 45, 477 पौधे रोपित किये गये, जो सरकार के लक्ष्य 36.50 करोड़ से 1,45,477 से भी अधिक है।

'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ महाभियान 2024' को मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' में एक दिन में 36.50 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लोक–कल्याणकारी संकल्प पूर्ण हो गया है। प्रकृति और धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता यह कीर्तिमान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान 'एक पेड़ मां के नाम' से अपार जन जुड़ाव को प्रदर्शित करता है।

'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान 2024' के अंतर्गत वन भूमि, रक्षा, रेलवे की भूमि, ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेस वे, सड़क, नहर, रेल पटरी के किनारे, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक परिसर, चिकित्सा संस्थान, शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों की निजी भूमि, नागरिकों द्वारा निजी परिसर में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए वन विभाग की तरफ से एण्ड्रायड आधारित प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रीयल टाइम अपडेट मिला। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि पिछली सरकारों की तरह पौधारोपण अभियान केवल कागज़ी खानापूर्ति तक सीमित ना रहे, बल्कि इसको लेकर पूरी पारदर्शिता और पौधों की प्रभावी मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। यही कारण रहा कि इस साल भी पौधों की जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही वन विभाग ने भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया।

ग्राम्य विकास ने सर्वाधिक 13.54 करोड़ पौध लगवाए

ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से 13 करोड़ 54 लाख पौधे लगाए गए। वहीं जनपदों में सोनभद्र ने बाज़ी मारी। यहां 1 करोड़ 53 लाख पौधे लगाए गए। सर्वाधिक पौधा शीशम का लगा। 36.51 करोड़ से अधिक पौधरोपण में

‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ महाभियान 2024’ को मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि ‘नए भारत’ के ‘नए उत्तर प्रदेश’ में एक दिन में 36.50 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लोक–कल्याणकारी संकल्प पूर्ण हो गया है। प्रकृति और धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता यह कीर्तिमान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ से अपार जन जुड़ाव को प्रदर्शित करता है।

शीशम के सर्वाधिक 4 करोड़ 33 लाख 38723 पौधे लगे। सागौन के 4 करोड़ 33 लाख,सात हजार 858 पौधे लगे। जामुन के 2 करोड़ 19 लाख 10,650 पौधारोपण हुए। अर्जुन के 1 करोड़ 67 लाख, 73913 और आंवला के 95 लाख, 32 हजार 275 पौधे लगाए गए। झांसी में 97 लाख, लखीमपुर खीरी में 95 लाख, जालौन में 94 लाख और मीरजापुर में 93 लाख से अधिक पौधारोपण एक दिन के भीतर किया गया। वन, वन्यजीव विभाग ने 12.64 करोड़ पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई। 2.89 करोड़ पौधे लगाकर कृषि विभाग तीसरे स्थान पर रहा। उद्यान विभाग 1 करोड़ 61 लाख और पंचायती राज विभाग की तरफ से 1करोड़ 18 लाख पौधे लगाये गये।

उल्लेखनीय है कि आज यूपी में आम नागरिकों के भीतर पर्यावरण संरक्षण का भाव पैदा हुआ है। यूपी में 100 साल से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर उनका संरक्षण किया जा रहा हैं। प्रदेश में ऐसे कई वृक्ष हैं जिसके नीचे बैठकर क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी की रणनीति तय की। बद्रीनाथ धाम के सिद्ध योगी सुंदर नाथ वर्ष 1907 में गोरखनाथ मंदिर आए और वहां मौजूद आम के वृक्ष के नीचे तत्कालीन महंत बाबा गंभीरनाथ के साथ संवाद किया। वो वृक्ष आज भी वहां मौजूद है और फल देता है। इसके अलावा वर्ष 1912 में भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद ने भी उसी वृक्ष के नीचे बाबा गंभीरनाथ से दीक्षा ली थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत 10 अप्रैल, 2023 को लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में कहा कि “क्लाइमेट चेंज आज एक बड़ी चुनौती है। विगत साल हमने असमय अतिवृष्टि को देखा है। बीते 25 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि अक्टूबर में बाढ़ आई हो। किसान को जब पानी की जरूरत है तो बारिश नहीं होती और फसल काटते वक्त असमय बरसात पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। पौधरोपण, पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने का सबसे कारगर उपाय है।”

मुख्यमंत्री की मंशा को ध्यान में

रखते हुए प्रदेश में व्यापक स्तर पर 'वृक्षारोपण महाभियान 2023' चलाया गया था। इस अभियान में उत्तर प्रदेश में 30, 21, 51, 570 पौधे रोपित किये गये, जो कि सरकार के लक्ष्य 30 करोड़ से 21 लाख से भी अधिक थे।

नेचर, कल्चर और एडवेंचर का संगम बनेगा यूपी

उत्तर प्रदेश का पर्यावरण और यहां के वन्य जीव, देश–विदेश के पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहे हैं। पर्यावरण से पर्यटन की अपार संभावनाएं विकसित हो रही हैं। सर्वविदित है कि प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत के लिहाज से उत्तर प्रदेश की धरा बेहद संपन्न है। अगर पर्यटन के लिहाज से इन क्षेत्रों के विकास के दौरान प्रकृति को केंद्र में रखा जाय तो ईको टूरिज्म की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। नेचर, कल्चर और एडवेंचर के संगम के ये स्थल देश–दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इस तैयारी में पर्यटन विभाग के साथ सिंचाई, वन, आयुष, ग्राम्य विकास और अन्य संबंधित विभागों की अहम भूमिका निभा रहे हैं।

एक आकलन के अनुसार, छुट्टियों पर आने वाले पर्यटकों में से लगभग 35 प्रतिशत लोग ईको–हॉलिडे पर जाना पसंद करते हैं। शर्त यह है कि उनके हिसाब से संबंधित जगहों पर जरूरी बुनियादी सुविधाएं हों। संयोग से उत्तर प्रदेश में खूबसूरत प्राकृतिक नजारे वाली ढेरों जगहें हैं। मसलन, प्रदेश की तराई का क्षेत्र जैविक विविधता के लिहाज से बेहद संपन्न है। यहां के घने जंगल उनमें उपलब्ध भरपूर जल स्रोतों की वजह से बाघ, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, डॉल्फिन और पक्षियों की कई प्रजातियों का स्वाभाविक ठिकाना हैं। दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और कतर्नियाघाट के जंगल जैविक विविधता के भंडार हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में देश–विदेश के पर्यटक इस जैविक विविधता को देखने के लिए आते हैं।

इसी तरह मानव जीवन के शुरुआत का इतिहास संजोए सोनभद्र का फॉसिल (जीवाश्म) पार्क भी प्राकृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पार्क इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों को खूब लुभाता है। यहां के 150 करोड़

वर्ष पुराने जीवाश्म दुनिया के लिए शोध का विषय हैं। लगभग 25 हेक्टेयर में फैला ये फासिल्स पार्क अमेरिका के यलो स्टोन पार्क से भी बड़ा है। इसी कारण से इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े फॉसिल्स पार्क में होती है।

बखिरा सैंक्चुरी, चंद्रप्रभा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी, हस्तिनापुर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी, कैमूर सैंक्चुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, महावीर स्वामी सैंक्चुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, पार्वती आगरा बर्ड सैंक्चुरी, रानीपुर सैंक्चुरी, सोहगीबरवा सेंक्चुरी, विजय सागर सैंक्चुरी, सुरहा ताल सैंक्चुरी, सुहेलदेव सैंक्चुरी आदि जगहों पर भी प्राकृतिक पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि "प्रकृति और परमात्मा की उत्तर प्रदेश पर असीम अनुकंपा है। हेरिटेज वृक्षों के संरक्षण के साथ लखनऊ स्थित कुकरैल पिकनिक स्पॉट को और बेहतर बनाया जाए। यहां ईको टूरिज्म की ढ़ेर सारी संभावनाएं हैं।" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा उत्तर प्रदेश को ईको टूरिजम के लिहाज से देश का पसंदीदा स्थल बनाने की रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 9 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन (कृषि जलवायु क्षेत्र) के मद्देनज़र विलेज टूरिज्म को जोड़कर इसके दायरे को विस्तार दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत 10 अप्रैल, 2023 को लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में कहा कि ''क्लाइमेट चेंज आज एक बड़ी चुनौती है। विगत साल हमने असमय अतिवृष्टि को देखा है। बीते 25 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि अक्टूबर में बाढ़ आई हो। किसान को जब पानी की जरूरत है तो बारिश नहीं होती और फसल काटते वक्त असमय बरसात पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। पौधारोपण, पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने का सबसे कारगर उपाय है।"

सफल हुआ नमामि गंगे, गंगा में लौटी डॉलफिन

नमामि गंगे परियोजना से काफी अच्छे परिणाम सामने आये हैं। आज प्रयागराज से बक्सर तक गंगा में डॉल्फिन दिख रही हैं। पहले कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर का गंदा पानी गंगा जी में गिरता था, अब इस पर नियंत्रण किया गया है। वर्ष 2019 में प्रयागराज के कुंभ ने जिस ऊंचाई को प्राप्त किया, उसके पीछे नमामि गंगे परियोजना की सफलता भी एक प्रमुख कारण है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 हजार अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। वन विभाग ने इन सरोवरों के तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक रूप से पौधरोपण का अभियान चलाया है।

केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश जल संरक्षण के लिए पुरस्कृत भी हो चुका है। यूपी को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पांच पुरस्कार मिल चुके हैं। 'सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी' में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिल चुका है। केंद्र सरकार की टीम ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों का दौरा किया था। 11 बिंदुओं पर निरीक्षण करने के बाद केंद्र सरकार की कमेटी ने उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 3298.84 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) के 104 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए हैं। इस पहल से नदियों की धाराएं निर्विघ्न और शुद्ध हो गई हैं। नदियों में गिरने वाले नालों को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विलुप्त हो चुके कुओं को फिर से विकसित किया जा रहा है। तालाबों को पुनर्जीवित कर उनके किनारे ग्राम वन स्थापित किये जा रहे हैं। गोमती नदी की 22 सहायक नदियों में से सूख चुकी 19 सहायक नदियों को भी नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और आम के पौधे नदियों के किनारे लगाए गए हैं।

मानव कल्याण के साथ वन्यजीवों की रक्षा के लिए संकल्पित सीएम योगी

गाय हो या फिर तेंदुए के शावक, इन सभी के प्रति योगी आदित्यनाथ का लगाव बस देखते ही बनता है। सभी लोग चमत्कृत रह गए जब अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर में तेंदुए के 2 मादा शावकों को दूध पिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दोनों शावकों

का नामकरण किया। एक का नाम भवानी और एक का नाम चण्डी रखा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि "रामराज की भावना के अनुरूप मानव कल्याण के साथ प्रत्येक प्राणी की रक्षा व संरक्षण में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। इसकी प्रेरणा हमें रामायण से भी मिलती है। रामायण की गाथा में अरण्य काण्ड जीव–जन्तुओं के संरक्षण, प्रकृति के प्रति दायित्वों, जीवों के प्रति व्यवहार की हमें सीख देती है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं "'हित अनहित पसु पच्छिउ जाना, मानुष तनु गुन ग्यान निधाना" कौन हितैषी है और कौन हानि पहुंचाने वाला पशुओं में भी इसका स्पन्दन होता है।"

लखनऊ में प्रदेश की पहली नाइट सफारी शुरू करने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वन्यजीवों के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी, मनोरंजन के साथ बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होगा। चित्रकूट के रानीपुर में टाइगर रिजर्व बनाए जाने की भी घोषणा हो चुकी है। भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया था। प्रदेश सरकार बिजनौर के समीप अमानगढ़ को बहुत शीघ्र ईको टूरिज्म के केन्द्र के रूप में विकसित करने जा रही है। राज्य सरकार वन्यजीवों के लिए महराजगंज, मेरठ, चित्रकूट, पीलीभीत में रेस्क्यू सेण्टर बना रही है। महराजगंज के सोहगीबरवा क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण केन्द्र बनाया जा रहा है। वन्य जीवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है. यही वजह है कि वन्य जीवों को होने वाली हानि को उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा की श्रेणी में रखा है।

यूपी में प्रदूषण मुक्त परिवहन

उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन पर ज़ोर दे रही है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास विभाग के माध्यम से पहले ही सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं तो वहीं अब योगी सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से भी चुनिंदा मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया है। प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को धीरे–धीरे सड़क से हटाकर ई–व्हीकल और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने का कार्य हो रहा है। यूपी आज सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन कर रहा है। प्रदेश में खेती को विषमुक्त करने का अभिनव कार्य प्रारंभ हुआ है। यूपी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गौमाता की रक्षा के साथ गो आधारित खेती के जरिए विषमुक्त खेती का अभियान शुरू हो चुका है। गंगा के तटवर्ती 27 जिलों और बुंदेलखंड में 1.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसान जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ◆

मो. : 9415132728

पशुधन एवं दुग्ध विकास, किसानों के जीवन में खुशियों की आस

–सुरेन्द्र अग्निहोत्री

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने के सम्बन्ध में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग किसान के हर परिवार को पशुपालन से समृद्ध बनाने की एक सशक्त शुरूआत कर चुका है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है फिर भी पशुपालको के लिए अनेक योजनाओं के तहत लाखों से लेकर करोड़ों के अनुदान भी दे रहा है। ग्रामीण लोगों और रोज़गार पीढ़ियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान से संबंधित पशुधन विकासपहल से हर किसान और खेतिहर मजदूर तथा पशुपालकों के जीवन में 'पशु का उपचार पशुपालक के द्वार' के क्रम में 520 मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट का शुभारंभ से बदलाव हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार ''गौ सर्वदेवोमय और वेद सर्वभौम है''।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्री धर्मपाल सिंह के देखरेख में पशुपालन विभाग पशुओं हेतु पौष्टिक चारे, कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नतशील नस्ल को बढ़ावा देने, पशुपालकों एवं किसानों के प्रशिक्षण, डेयरी क्रेडिट, दुग्ध प्रसंस्करण, पीसीडीएफ के पुनरूत्थान और डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना के साथ पशुधन और दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्रों में नवीन प्रयोगों और प्रयासों को बढ़ावा देते हुए शोध पर बल दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन और दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए कृत्रिम गर्भाधान योजना के माध्यम से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु प्राप्त करने कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 03 करोड़ किया गया है। देसी नस्ल की साहीवाल, गिर, थारपारकर हरियाणा गंगातीरी का सीमन पशुपालकों को फ्री दिया जा रहा है तथा सीमन से बछिया ही पैदा हो इस कार्य के लिए सेक्सड सीमन जो 300 रूपये में मिलता था उसका शुल्क 100 रूपये किया गया। पशुओं को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराये जाने और कृत्रिम गर्भाधान योजना के माध्यम से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु प्राप्त होंगे, जिससे न केवल दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि स्वरोजगार का भी सृजन होगा। योजनाओं की रूपरेखा इस प्रकार तय की गयी है कि उसे किसान और पशुपालक आसानी से समझ कर लाभ उठा रहे हैं। उ.प्र. में पशुधन बड़ी संख्या में है। इसलिए दूध के उपयोग के साथ ही पर्यावरण के दृष्टिगत गोबर का उपयोग किये जाने पर भी कार्य किया जाए। पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में बैंक ऋण की उपलब्धता और किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता बढ़ायी जा रही है। मुख्यमंत्री जी की सार्थक पहल पर निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए प्रदेश में वृहद संरक्षण केंद्र बनाए गए

हैं। संरक्षण केंद्रों में निराश्रित गोवंश के लिए चारे–भूसे का आवश्यक प्रबन्ध समुचित किया जा रहा है साथ ही, सरकारी गोवंश संरक्षण केंद्र में केयर टेकर की व्यवस्था सुनिश्चित होने से गौसंरक्षण की दिशा में व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में 6599 अस्थाई गौशाला में 9,62,728 गाय संरक्षित हैं। 321 वृद्ध गो संरक्षण केन्द्र पर 1,22,631, कान्हा गोआश्रय में 68,493 तथा 308 कांजी हाउस में 13,729 गायों को संरक्षित किया गया है। संरक्षित गोवंश की संख्या 11लाख 67 हजार 581 है। प्रदेश में कुल गोवंश 2019 की पशुगणना के आधार पर 1 करोड़ 90 लााख 20 हजार है। किसानों के लिए नंदनी समृद्धि योजना के तहत 24 गाय क्रय करने के लिए 64 लाख की लागत में 32 लाख का अनुदान हेतु को भी पशुपालक आवेदन कर सकता है। 200 गायों की ब्रीडिंग हेतु 4 करोड़ की लागत पर दो करोड़ का अनुदान तथा 2

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्री धर्मपाल सिंह के देखरेख में पशुपालन विभाग पशुओं हेतु पौष्टिक चारे, कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नतशील नस्ल को बढ़ावा देने, पशुपालकों एवं किसानों के प्रशिक्षण, डेयरी क्रेडिट, दुग्ध प्रसंस्करण, पीसीडीएफ के पुनरूत्थान और डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना के साथ पशुधन और दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्रों में नवीन प्रयोगों और प्रयासों को बढ़ावा देते हुए शोध पर बल दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन और दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए कृत्रिम गर्भाधान योजना के माध्यम से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु प्राप्त करने कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 03 करोड़ किया गया है।

गाय क्रय हेतु 80 हजार एवं 1 गाय क्रय करने किसानों को 40 हजार का अनुदान दिया जा रहा है जिससे गोबरधन योजना को पी.पी.पी. मोड पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगे बढ़ाया जाए। बारिश को देखते हुए निराश्रित गोवंश के लिए मुंहपका, खुरपका और गलाघोटूं से सम्बन्धित टीकाकरण अभियान चलाया जाए। गोबरधन योजना को पी.पी.पी. मोड पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगे बढ़ाया जारहा है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 01 करोड़ अंडों का उत्पादन किया जा रहा है और 03 करोड़ अंडों की खपत है। प्रदेश को अंडा उत्पादन और वितरण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई कम्पनियों को प्रदेश में लाया जा रहा है ताकि दूसरे प्रदेशों पर निर्भरता खत्म होने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिले। डेयरी क्षेत्र में अभिनव प्रयासों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, अंडा, मांस, मछली आदि क्षेत्रों में वृद्धि होगी, जिससे न केवल पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि किसानों एवं पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी और समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल सकेगा।

पशुचिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने का संकल्प

पशुचिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में भारत सरकार के सहयोग से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट कार्य कर रही है जो एक घंटे के अंदर टोल फ्री नम्बर 1962 पर

काल करने पर पशुपालक के घर पर उपचार कर रही है। पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ के तहत 04 पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में 01 करोड़ 47 लाख 59 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि से जनपद कुशीनगर के विकासखण्ड खड्डा में आवासीय पशुचिकित्सालय खड्डा, जनपद जौनपुर के मछलीशहर में आवासीय पशुचिकित्सालय मीरंगज, जनपद कौशाम्बी के सरसवां के अनावासीय पशुचिकित्सालय बैरागीपुर तथा सोनभद्र के चोपन में अनावासीय पशु चिकित्सालय ओबरा का निर्माण किया जायेगा। लखनऊ स्थित रहमान खेड़ा, खीरी स्थित मंझरा तथा हापुड़ स्थित बाबूगढ़ अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्रों के संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य के तहत 07 पशुसेवा केन्द्र व पशु औषधालय के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 119.21 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि से जनपद जौनपुर के मछलीशहर के पशुसेवा केन्द्र खजूरहट, सोधी/शाहगंज के प.से.के. बीबीगंज, बक्शा के प.से.के. राजेपुर, बक्शा के प.से.के. सिरकोनी, जनपद बागपत के पशुसेवा केन्द्र सूजरा, बांदा के महुआ के प.से.के. बिलगांव तथा बरेली के फतेहपुर के प.से.के. न्योधना में निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक पशु सेवा केन्द्र हेतु 17.03 लाख रूपये की धनराशि व्यय की जायेगी।

गोआश्रय स्थलों के प्रबन्धन में पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासन

गोसंरक्षण कार्यों की दिशा में गोआश्रय स्थलों पर वर्षाकाल के दृष्टिगत प्रदेश की गौशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश हेतु चारा–भूसा, पानी, प्रकाश एवं गोवंश के भीगने से बचाव हेतु टीनशेड के बेहतर इन्तज़ाम किये गये है। कीचड़ से बचाव हेतु पक्का सीलिंग कार्य कराये जाने के के साथ गोआश्रय स्थलों में जलभराव की समस्या के निस्तारण के स्थाई समाधान के साथ संक्रामक रोगों से बचाव हेतु आवश्यक दवाइयों एवं वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। निराश्रित गोवंश सड़कों या खेतों में दिखायी दें तो उन्हें उपयुक्त स्थल पर संरक्षित करने का अभियान पी चलाया जा रहा है। गोआश्रय स्थलों के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि को पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए व्यय करने के साथ वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नैपियर घास भी लगवाई गयी है ताकि हरे चारे की भी उपलब्धता वर्ष पर्यन्त हो सके। गोआश्रय स्थलों पर सोलर लाइट की भी व्यवस्था और संरक्षित गोवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण संबंधित पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

भेड़ पालन योजना

प्रदेश में पशुधन विकास के क्षेत्र में भेड़ तथा ऊन विकास के तहत भेड़ पालन योजना हेतु 03 करोड़ 44 लाख 75 हजार रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना और भेड़ पालकों के आर्थिक स्तर को उन्नतशील बनाना व कारपेट निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन करना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण है।

बकरी पालन योजना

प्रदेश में पशुधन विकास के क्षेत्र में बकरी पालन की योजना हेतु 03 करोड़ रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्सड सीमन)

गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्सड सीमन) के उपयोग की योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2103.25 लाख (रुपए इक्कीस करोड़ तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

भेड़ तथा ऊन विकास

प्रदेश में भेड़ तथा ऊन विकास के लिए भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु मेढ़े उपलब्ध कराने की योजना के तहत 31.91 लाख (रूपये इकतीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है।

गोसंरक्षण कार्यों की दिशा में गोआश्रय स्थलों पर वर्षाकाल के दृष्टिगत प्रदेश की गौशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश हेतु चारा–भूसा, पानी, प्रकाश एवं गोवंश के भीगने से बचाव हेतु टीनशेड के बेहतर इन्तज़ाम किये गये हैं। कीचड़ से बचाव हेतु पक्का सीलिंग कार्य कराये जाने के के साथ गोआश्रय स्थलों में जलभराव की समस्या के निस्तारण के स्थाई समाधान के साथ संक्रामक रोगों से बचाव हेतु आवश्यक दवाइयों एवं वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

अलीगढ़ के सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला

उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ के सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु 9.40 लाख (रूपये नौ लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत किया जायेगा।

पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध

पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन व शोध कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 26.575 लाख (रूपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ मात्र) रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। ◆

मो. : 9415508695

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से, रोज़गार के खुलते द्वार

—विदर्भ कुमार

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग तथा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परंपरागत पेशे से जुड़े कारीगरों, बेरोजगार नवयुवक/युवतियों को रोजगार का अवसर सुलभ कराने तथा नई इकाईयां स्थापित करने के लिए ऋण तथा अनुदान जैसी अनेक सुविधाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के हैण्डलूम, खादी को वैश्विक मंच पर पुर्नप्रतिष्ठित कर रहे है को उपलब्ध कराया है। हैण्डलूम उत्पाद, खादी के उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आकर्षक पैकेजिंग गुणवत्ता नियंत्रण मानकीकरण एवं यथोचित दर के आधार पर विपणन के लिए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। बीते वर्षों में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत बडी संख्या में नई इकाइयां स्थापित की गई तथा प्रदेश में खादी के लिए सोलर चरखा तथा इलेक्ट्रिक कुम्हारी चाक, विद्युत चलित आधुनिक भट्टी वितरण हो रहा है। जानी मानी फैशन डिजाइनरों द्वारा तैयार खादी वस्त्रों के फैशन शो के साथ विदेशों में विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से खादी यूपी का लोगो (मार्का), आनलाइन मार्केटिंग में अमेजन एवं फिलपकार्ड के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2024—25 को एक सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बजट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परंपरागत पेशे से जुड़े कारीगरों, बेरोज़गार नवयुवक/युवतियों को मिलेगा। नई क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई इकाइयों को कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक स्व– वित्तपोषित गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा, जो प्रत्येक उधारकर्ता को 100 करोड़

रुपये तक का गारंटी कवर प्रदान करेगा। इस पहल से उन छोटी इकाइयों को लाभ मिलेगा जो अपरिहार्य कारणों से समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रही हैं, और इससे उनके खातों को एनपीए (Non-Performing Asset) होने से भी बचाया जा सकेगा।

वर्तमान में, एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बजट में एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल पेश किया जाएगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। यह नई प्रणाली बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी, जो अब तक परंपरागत रूप से असेट्स और टर्नओवर के आधार पर ऋण देती रही हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग तथा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परंपरागत पेशे से जुड़े कारीगरों, बेरोजगार नवयुवक/युवतियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने तथा नई इकाईयां स्थापित करने के लिए ऋण तथा अनुदान जैसी अनेक सुविधाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के हैण्डलूम, खादी की वैश्विक मंच पर पुर्न प्रतिष्ठित कर रहे हैं को उपलब्ध कराया है। हैण्डलूम उत्पाद, खादी के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आकर्षक पैकेजिंग गुणवत्ता नियंत्रण मानकीकरण एवं यथोचित दर के आधार पर विपणन के लिए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।

बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। यह सुविधा उन इकाइयों के लिए होगी जिन्होंने पूर्व में लिए गए ऋण को तय समय सीमा में चुकाया है।

एमएसएमई क्लस्टर्स में अगले तीन वर्षों में सिडबी की 24 नई शाखाएँ खोली जाएंगी, जिससे एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। ट्रेड्स (Trade Receivables Discounting System) प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की सीमा को वर्तमान 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक एमएसएमई इकाइयाँ इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो सकेंगी और आसानी से क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगी।

पीपीई मॉडल (Public&Private Enterprise Model) पर ई–कॉमर्स एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे, जो एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बेचने में

मदद करेंगे। इन हब्स के माध्यम से छोटे व्यवसायों को निर्यात और व्यापार से संबंधित सेवाएँ भी प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही, 100 एनएबी (National Accreditation Board) मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, जो खाद्य प्रसंस्करण संबंधित इकाइयों को उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण सेवाएं प्रदान करेंगी।

अंततः देश की 500 बड़ी कंपनियों में अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने उद्यम शुरू करने के लिए तैयार हो सकें। ये प्रावधान एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भोजन टोकरी के नाम से पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पास राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं, गन्ना, आलू, आम व दूध की प्रचुरता है। फूड पार्कों, पशु/मत्स्य आहार भंडारण, फसल, कृषि, पैकिंग, खुदरा तथा शोध अवसंरचना की

प्रचुरता है। 24 करोड़ की विशाल जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ार है। देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य में सबसे बड़ा रोजगार सृजन क्षेत्र 14.2% के एम एस एम ई से है। 90 लाख पंजीकृत व गैरपंजीकृत एम एस एम ई के माध्यम से अभियांत्रिक वस्तुओं, कालीन, चमड़े के उत्पाद, वस्त्र, प्लास्टिक व काँच के सामान इत्यादि के विनिर्माण में अग्रणी बनाने में प्रदेश सरकार की नीति प्रमुख है जिनमें ब्याज अनुवृत्ति, ई पी एफ वापसी की छवि, भू प्रयोग परिवर्तन शुल्क मुक्ति के साथ भू प्रयोग परिवर्तन आसानी से होने तथा विद्युत शुल्क में छूट, निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम्स, एक जनपद एक उत्पाद (ओडी ओपी) योजना के साथ नवाचारी योजना जो राज्य के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पियों आदि की स्थानीय पारंपरिक निपुणता के संवर्धन हेतु प्रारम्भ की गई थी जिसमें प्रत्येक जनपद के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुल 75 उत्पादों को चिन्हित कर मानचित्रित किया गया है।

उद्यमिता ला रही कामगारों के जीवन में बड़ा परिवर्तन

प्रदेश सरकार के उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए बना वरदान बन गया है। उद्यमिता विकास संस्थान की नीति के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को रोजगार के असीमित अवसर प्रदान कर रहा है। स्वयं के रोजगार तथा अन्य संस्थान से रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए चार माह के प्रशिक्षण के तहत 18 मंडल में रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है।

दो साप्ताहिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम के पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दर्जी, लोहार, सुनार, नाई, मोची,बढ़ाई, टोकरी बुनकर,हलवाई कुम्हार,राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित कर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ◆

मो. : 7607354095

पर्यावरण संरक्षण को कटिबद्ध सरकार

- पौधारोपण का बनाया रिकार्ड, नदियों को मिल रहा पुनर्जीवन
- योगी सरकार ने बनाया पौधारोपण का नया कीर्तिमान
- प्रदेश में एक दिन में रोपे गए 36.51 करोड़ से अधिक पौधे

–राघवेंद्र प्रताप सिंह

पर्यावरण संरक्षण के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता मैदान पर दिख रही है। 20 जुलाई पौधारोपण का नया कीर्तिमान बनाते हुए एक दिन में 36.50 करोड़ के लक्ष्य से अधिक कुल 36,51,45,477 करोड़ पौधे रोपित कर दिए। पौधरोपण के साथ ही सरकार छोटी नदियों के पुनर्जीवन पर भी ध्यान दे रही है। यही कारण है कि लखनऊ में कुकरैल तो बाराबंकी में जुमरिया नाला अब नदी बनने की ओर अग्रसर है। पौधारोपण की बात करें तो 20 जुलाई को सुबह छह बजे से शुरू हुए पौधारोपण अभियान में शाम 5:56 बजे लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। 26 विभागों व आमजन की मदद से सरकार ने लक्ष्य से 1,45,477 पौधे अधिक लगाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कुकरैल नदी तट पर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करने के बाद प्रयागराज और गोरखपुर में भी पौधे रोपे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीतापुर में पौधा लगाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज व कौशांबी, ब्रजेश पाठक ने उन्नाव व कानपुर देहात में पौधे लगाए। सरकार के सभी मंत्रियों ने अलग–अलग जिलों में पौधारोपण किया।

'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ महाभियान 2024' को मिली सफलता के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा...'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' में आज एक दिन में 36.50 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लोक–कल्याणकारी संकल्प पूर्ण हो गया है। प्रकृति और धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता यह कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान 'एक पेड़ मां के नाम' से अपार जन जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। पौधारोपण महाभियान में सहभागी सभी सम्मानित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और शासन–प्रशासन को हार्दिक बधाई एवं उनका अभिनंदन।

अभियान के तहत वन भूमि, रक्षा, रेलवे भूमि, ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेसवे, सड़क, नहर, रेल पटरी के किनारे, विकास प्रधिकरण, औद्योगिक परिसर, चिकित्सा संस्थान, शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों की निजी भूमि, नागरिकों द्वारा निजी परिसर में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया है। सबसे मुख्य बात ये है कि अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए वन विभाग की तरफ से प्लांटेशन मानीटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर पर रियल टाइम अपडेट किया जाता रहा। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि अभियान पूरी पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी में चलाया जाए। तकनीक के माध्यम से अभियान की आनलाइन निगरानी रखी गई व सभी

1,80,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। यूपीसीडा ने 42,000 एकड़ से अधिक भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र, टाउनशिप और औद्योगिक पार्कों को विकसित किया है। यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मयूर माहेश्वरी ने कहा कि संस्थान का प्रयास है कि हम सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सतत विकास के साथ पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त बनाएं। इसके तहत पौधरोपण के लिए छोटी से छोटी बंजर भूमि का भी उपयोग किया जा रहा है। औद्योगिक वन स्थापित करने के लिए यूपीसीडा मियावाकी तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इस जापानी विधि से जंगल 10 गुणा तेजी से बढ़ते हैं और 30 गुणा अधिक सघन होते हैं। इनकी जैव विविधता भी पारंपरिक तरीकों की तुलना में 100 गुणा अधिक होती है। इन्हें तीन वर्ग मीटर की छोटी से जगह में बनाया जा सकता है। इस तकनीक से गाजियाबाद में स्वदेशी पालीटेक औद्योगिक पार्क में विशेष हरित पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह गौरव की बात है कि प्रदेश सरकार ने एक दिन में 36.51 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, किंतु इससे संतुष्ट होकर बैठ जाना कदापि उचित नहीं होगा। सरकार ने पौधारोपण करवाकर पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, लेकिन इसे प्रतीक व प्रेरणा के रूप में ही लिया जाना चाहिए। जब तक यह जनअभियान और जनजागरण का रूप नहीं लेता तब तक न तो पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी और न ही उस खतरे का ही सामना किया जा सकेगा जिसके प्रति मुख्यमंत्री ने सचेत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पौधारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए भूमंडलीय ताप

पौधारोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी कराई गई। पौधारोपण अभियान में शीशम व सागौन के पौधे पहली पसंद रहे हैं। शीशम 4.33 करोड़ व सागौन के भी इतने ही पौधे लगाए गए। जामुन व आंवला सहित फलदार पौधे भी प्रदेशवासियों ने खूब भाए। जामुन के 2.19 करोड़ पौधे लगाए गए। आंवला के भी करीब एक करोड़ पौधे लगे हैं। अर्जुन के 1.67 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

पौधारोपण में सबसे अधिक ग्राम्य विकास विभाग ने सर्वाधित पौधे लगाए हैं। उसने शनिवार को 13.54 करोड़ पौधे लगाए हैं। वन, वन्यजीव विभाग ने 12.64 करोड़ पौधे लगाकर प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई। कृषि विभाग ने 2.89 करोड़ पौधे लगाकर तीसरे स्थान पर रहा है। उद्यान विभाग 1.61 करोड़ पौधे लगाए हैं। इसी प्रकार पंचायतीराज विभाग ने 1.18 करोड़ पौधे लगाए। जिलों को देखा जाए तो सबसे अधिक पौधे सोनभद्र में लगे हैं। वहां पर 1.53 करोड़ पौधे लगाए गए। झांसी में 97 लाख, लखीमपुर खीरी में 95 लाख, जालौन में 94 लाख और मीरजापुर में 93 लाख से अधिक पौधारोपण हुआ है। यूपीसीडा प्रदेश में उद्योगों के साथ औद्योगिक वन भी स्थापित कर रहा है और अपने औद्योगिक क्षेत्रों में

कब कितना हुआ पौधारोपण
वर्ष–पौधों की संख्या

वर्ष	पौधे
2017	5.72 करोड़
2018	11.77 करोड़
2019	22.60 करोड़
2020	25.87 करोड़
2021	30.53 करोड़
2022	35.49 करोड़
2023	35.81 करोड़
2024	36.51 करोड़

वृद्धि को समस्त जीव सृष्टि के लिए खतरे की घंटी बताया है। उनका कहना सही है कि यह संकट मानव का खड़ा किया है और उसे ही इसे नियंत्रित करने के लिए सामने आना होगा।

बेशक, पिछले कुछ वर्षों में पौधारोपण के सरकारी अभियान से प्रदेश के वनावरण में वृद्धि हुई है लेकिन यदि भूमंडलीय ताप वृद्धि के बड़े खतरे को देखें तो यह 'ऊंट के मुंह में जीरा' से अधिक नहीं है। पर्यावरण सुधार की दिशा में वास्तविक प्रगति तब होगी जब पौधों के प्रति प्रेम मानव व सामाजिक मूल्य का हिस्सा बनेगा। पारिवारिक संस्कार का अंग बनेगा। निश्चित ही इसे नियोजित विकास का हिस्सा बनाकर वास्तविक विकास से जोड़ना होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत आबादी को शहरी क्षेत्र में लाया जाना है। इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं लेकिन इन शहरों में फेफड़े के रूप में वनावरण को संयोजित न किया गया तो विकास ही विनाश का रूप भी ले सकता है। शहरों में आ रहे ग्रामीण हिस्से में चौड़ी सड़कों के प्रविधान और उनके किनारे पौधारोपण की अनिवार्यता के विचार को कठोर नीति में परिवर्तित करना होगा। अच्छी बात है कि इस दिशा में कदम उठे हैं, उन्हें और आगे बढ़ाने की जरूरत है।

- **राजनीतिक संरक्षण ने बनाया नाला और इच्छाशक्ति ने फिर नदी**
- **कल तक जहां था कंक्रीट का जंगल, अब वहां सौमित्र वन**
- **मुख्यमंत्री ने लिया था छोटी नदियों के पुनर्जीवन का संकल्प**

कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है और एक इतिहास कुकरैल के किनारे रचा गया। यह कथा है एक नदी के नाला बनने से उसके पुनर्जीवन के संकल्प की। यह कथा है उस राजनीतिक संरक्षण की, जिसने एक नदी को नाला बनाया और उस राजनीतिक इच्छाशक्ति की, जिससे वह पुनरू नदी बनने की ओर अग्रसर है। अतिक्रमण से कराहती इस नदी की इस पीड़ा देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पुनर्जीवन का संकल्प लिया। इस संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने कुकरैल रिवर फ्रंट का ड्रीम प्रोजेक्ट गढ़ा। अतिक्रमण हटाने के साथ ही लोगों को पुनर्वासित किया गया। इसे देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान कहना गलत न होगा क्योंकि बीकेटी के अस्ती से निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी तक यह नदी 25 किमी से अधिक की यात्रा करती है। इसकी गोद में बसे अवैध अकबरनगर प्रथम और द्वितीय से 3100 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। अब तक 25 एकड़ क्षेत्र खाली कराया जा चुका है। अयोध्या रोड पर कुकरैल नदी के किनारे कल तक जहां अकबरनगर नामक कंक्रीट का जंगल था, वह अब सौमित्र

वन हो गया है। जिस नदी के किनारे झुग्गी और अतिक्रमण फैला था, उस जगह हरे–हरे पौधे लगाए जा रहे थे। शहर की हवा को स्वच्छ करने के साथ आने वाले समय में यह एक पिकनिक स्पाट भी बनेगा। इसकी अनुभूति लोगों को बहुत सुकून दे रही थी। उनकी स्मृतियों में चार दशक पहले का वह दृश्य उभर आया, जब कुकरैल के हरे–भरे किनारे के साथ ही फैजाबाद रोड पर विशालकाय इमली के वृक्ष लोगों को छांव देते थे। उनके तने पर लिखी पेड़ की संख्या हमारी हरित समृद्धि की सूचक थी। हरियाली को विकास तो नदी को लालच की लहरें लील गईं, लेकिन वक्त बदला। अतिक्रमण और गंदगी से जूझती कुकरैल को पुराना स्वरूप देना आसान नहीं था। करोड़पति कब्ज़ेदारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम अदालत ने भी कुकरैल के पक्ष में ही फैसला दिया। कुकरैल की गोद में कंक्रीट का जंगल उगाकर पैसों की खेती करने वालों के खिलाफ सरकार ने मजबूत पैरवी करके नदी को उसका वैभव दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। उधर बाराबंकी में उच्च न्यायालय ने महंत बीपी दास की जनहित याचिका पर जमुरिया को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश जिला प्रशासन को दो साल पहले दिया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी टाल मटोल का रवैया अपना रहे थे। पिछले वर्ष सितंबर माह में हुई अत्यधिक बारिश से यह उफनाया तो आधा शहर प्रभावित हुआ। आज 80 प्रतिशत से ज्यादा जमुरिया की सफाई नगर क्षेत्र में हो चुकी है। अब नगर के पटेल तिराहा पुल, यंग स्ट्रीम कालेज पुल, घोसियाना पुल, आवास विकास कालोनी व लखपेड़ाबाग को जोड़ने वाले मेरे पुल पर खड़े होकर लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिसे वह नाला समझते थे, वह नदी के रूप में उनके सामने है। 10–12 मीटर में सिमट कर रह चुकी जमुरिया की चौड़ाई अब 20 मीटर से ज्यादा हो गई है।

पौधारोपण में सबसे अधिक ग्राम्य विकास विभाग ने सर्वाधिक पौधे लगाए हैं। उसने शनिवार को 13.54 करोड़ पौधे लगाए हैं। वन, वन्यजीव विभाग ने 12.64 करोड़ पौधे लगाकर प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई। कृषि विभाग ने 2.89 करोड़ पौधे लगाकर तीसरे स्थान पर रहा है। उद्यान विभाग 1.61 करोड़ पौधे लगाए हैं। इसी प्रकार पंचायतीराज विभाग ने 1.18 करोड़ पौधे लगाए। जिलों को देखा जाए तो सबसे अधिक पौधे सोनभद्र में लगे हैं। वहां पर 1.53 करोड़ पौधे लगाए गए। झांसी में 97 लाख, लखीमपुर खीरी में 95 लाख, जालौन में 94 लाख और मीरजापुर में 93 लाख से अधिक पौधारोपण हुआ हैं।

यहां करीब 150 मकान आंशिक रूप से तोड़े गए, 43 लोगों के मकान ध्वस्त किए जाने के कारण उन्हें सरकारी आवास दिए गए, इससे किसी तरह की कोई नहीं समस्या नहीं उभरने पाई। साढ़े छह किलोमीटर की परिधि में नगरीय क्षेत्र में खोदाई व सफाई की गई है। अब करीब 21 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में भी खोदाई–सफाई की जरूरत है।

जमुरिया नगर के छोटे–बड़े नालों का पानी अपने आप में समाहित कर रेठ नदी तक पहुंचाती है और रेठ नदी के पानी के साथ मिलकर गोमती नदी में समाहित होती है। ◆

मो. : 9415650340

सबको न्याय सुलभ न्याय

भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के अंतर्गत

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की सुविधा

- गवाह/साक्षीगण इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने जनपद के संयुक्त निदेशक, अभियोजन से संपर्क करें
- परीक्षण के दौरान किसी गवाह के साक्ष्य को निर्दिष्ट स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की सुविधा (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-254 एवं 265)
- इसके अनुपालन में अभियोजन विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही के लाभ

- गवाहों के समय एवं धन की बचत
- त्वरित न्याय दिलाने में मदद
- विशेष रुप से सेवानिवृत्त/कार्यरत सरकारी गवाहों की यात्रा के दौरान व्यक्तिगत असुविधाओं में कमी

पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश

जन सहभागिता से
ग्राम्य विकास

उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना

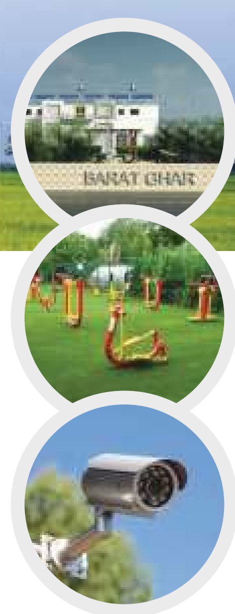

विवरण

- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजनांतर्गत कोई व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/एन.आर.आई./ एन.जी.ओ./निजी संस्था ग्राम पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अनुमन्य विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधाएं विकसित करा सकते हैं।
- कार्य की लागत की 60% धनराशि सहयोगकर्ता द्वारा एवं 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- योजना का नाम सहयोगकर्ता की इच्छानुसार रखा जाएगा।

उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मातृभूमि के विकास से जुड़ने का अवसर प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।
- निजी निवेश एवं नियमित अनुश्रवण से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि करना।

प्रक्रिया

- सहयोगकर्ता को योजना की वेबसाइट **https://mbhumi.upprd.in/Registration/AuthorRegistration** पर अपने मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल के माध्यम से पंजीकरण कर व्यक्तिगत यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
- **Register your project** पर व्यक्तिगत व योजना का विवरण देना होगा।
- **View all projects** पर जाकर **Take action** पर क्लिक कर **Pay now** की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सहयोगकर्ता अपने पंजीकृत कार्य के सापेक्ष 60% या उससे अधिक का भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं।

प्रस्तावित निर्माण कार्य

- स्कूल/इंटर कॉलेज की कक्षाएं व स्मार्ट क्लास
- सामुदायिक भवन/बारात घर
- प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, हॉस्पिटल
- आंगनबाड़ी केंद्र
- पुस्तकालय/सभागार
- व्यायामशाला/ओपन जिम
- सी.सी.टी.वी./ सर्विलांस सिस्टम
- शिल्पकारों के लिए अवस्थापना सुविधाएं
- अंत्येष्टि स्थल
- तालाब का सौंदर्यीकरण
- जल संरक्षण का कार्य
- बस स्टैण्ड/यात्री शेड
- स्ट्रीट लाइट/एल.ई.डी. लाइट
- फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना
- अन्य विकास कार्य

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

https://mbhumi.upprd.in/ matribhumi.up@gmail.com up.panchayatiraj@gmail.com 8127947062/7991949673

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए शिशिर, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित।